(भारत के राजपत्र असाधारण भाग–1, खण्ड–1 में प्रकाशनार्थ)
भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
उद्योग भवन, नई दिल्ली

सार्वजनिक सूचना सं. 83 /(आर0ई0–2013)/2009–2014
दिनांकः 30 जनवरी, 2015

विषयः आनलाइन आईईसी आवेदनः दिनांक 27/11/2014 की सार्वजनिक सूचना सं. 76 का कार्यान्वयन।

दिनांक 01.01.2015 से आईईसी के लिए आनलाइन आवेदनों की अनिवार्य प्रक्रिया के कार्यान्वयन को 27/11/2014 की सार्वजनिक सूचना सं.76 के द्वारा अधिसूचित किया गया था। तथापि, इसे दिनांक 6.1.2015 की सार्वजनिक सूचना सं.80 के द्वारा प्रास्थगित किया गया था।

2. अब, विदेश व्यापार नीति (2009–14) के पैराग्राफ 2.4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा दिनांक 01.02.2015 से आनलाइन आईईसी के लिए आवेदन की नई प्रणाली के कार्यान्वयन को अधिसूचित करते हैं। निम्नलिखित दस अधिसूचित बैंकों नामतः (i) एचडीएफसी बैंक; (ii) आईसीआईसीआई बैंक; (iii) बैंक ऑफ इंडिया; (iv) भारतीय स्टेट बैंक; (v) सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया; (vi) पंजाब नेशनल बैंक; (vii) आईडीबीआई; (viii) एक्सिस बैंक; (ix) यूनियन बैंक आफ इंडिया; (x) ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स के साथ नेट–बैंकिंग की सुविधा वाले आवेदक दिनांक 31.12.2014 की सार्वजनिक सूचना सं.79 में निर्धारित विस्तृत दिशा–निर्देश के अनुसार दिनांक 27.11.2014 की सार्वजनिक सूचना सं. 76 (आरई–2013) के द्वारा अधिसूचित प्रपत्र में आनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

3. आवेदक जिनके पास उपरोक्त बैंकों के माध्यम से नैट बैंकिंग की सुविधा नहीं है, उसमें यथा निर्धारित दस्तावेजों के साथ मौजूदा प्रपत्र (एएनएफ–2क) और प्रक्रिया में वास्तविक रूप में पहले से (01/02/2015 से पहले) आईईसी के लिए मैनुअल आवेदन अगले आदेशों तक प्रस्तुत कर सकते हैं।

4. इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः सार्वजनिक सूचना सं. 76 (आरई–2013)/ 2009–2014 दिनांक 27 नवम्बर, 2014 के अनुसार आईईसी के लिए आनलाइन आवेदन की नई प्रणाली 01/02/2015 से कार्य करना शुरू करेगी। तथापि, आवेदन–पत्र को मैनुअल तरीके से सौंपने की सुविधा, उन आवेदकों के लिए जारी रहेगी जिनके पास उपरोक्त पैरा 2 में यथा सूचीबद्ध दस बैंकों के साथ नेट बैंकिंग की सुविधा तक पहुंच नहीं है। आईईसी के लिए मैनुअल तरीके से आवेदन करने वाले आवेदक क्षेत्रीय प्राधिकरणों के पास प्रपत्र और प्रक्रिया में यथा निर्धारित दस्तावेजों के साथ आवेदन–पत्रों को सौंपने के लिए मौजूदा प्रपत्र (एएनएफ–2क, 01/02/2015 से पहले यथा मौजूद) और प्रक्रिया का उपयोग कर सकते हैं।

(प्रवीर कुमार)
महानिदेशक, विदेश व्यापार
ई-मेलः dgft@nic.in

[फा0सं0 01/93/180/20/एएम–13/पीसी–2 (बी)]